न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
राजस्व वाद सख्या–37/13

जलालुद्दीन पुत्र स्वींगय श्री नीम्बा जाति मेहरात निवासी– ग्राम रावला का बाडिया, झांक तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0)

.......वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूधारक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब, मसूदा जिला अजमेर

.......प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक 25.01.2017

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम रावला बाडिया पटवार क्षेत्र झांक प्रथम भू.अ.नि. क्षेत्र खीमपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि खाता न0 293 ख0 न0 1929, 1932 एवं खाता संख्या 294 ख0 न0 1933 व खाता संख्या 295 ख0 न0 1513 व खाता संख्या 296 ख0 न0 850 व खाता संख्या 297 रक्बा 675, 826, 833, 835, 836, 843, 863, 864, व खाता संख्या 298 ख0 न0 858, 859, 859/10127, 860 व 860/10128 व खाता संख्या 389 ख0 न0 684 व खाता संख्या 390 ख0 न0 824 व खाता संख्या 483 ख0 न0 1854 व खाता संख्या 831 ख0 न0 1928 तथा खाता संख्या 842 ख0 न0 324 में प्रार्थी का नाम जलालुद्दीन पुत्र नीम्बा के स्थान पर भोला पुत्र नीम्बा व मोहन पुत्र नीम्बा लिख दिया गया है। जबकि प्रार्थी के राशन कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि में उसका नाम जलालुद्दीन पुत्र नीम्बा है। इस दुरस्ती बाबत् तहसीलदार मसूदा से निवेदन करने पर कोई सुनवाई नही की गई। प्रार्थी को राजस्व रेकार्ड लेने पर इसकी जानकारी हुई है अतः राजस्व अभिलेख में दुरस्ती करवाते हुए प्रार्थी का नाम भोला एवं मोहन पुत्र नीम्बा के स्थान पर जलालुद्दीन पुत्र नीम्बा अंकित कराने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी प्रश्नगत भूमियों में सहखातेदार है राजस्व अभिलेख में उसका नाम भोला व मोहन पिता नीम्बा स्वः नीम्बा के विरासती नामान्तकरण से लगा है यह सहवन से त्रुटी नही हुई है

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान सुनी गई। उभयपक्षान के तर्क वितर्क के संदर्भ में मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है वे जवाब अप्रार्थी के अनुसार काबिज समाअत नही है क्योकि प्रार्थी के नाम उसके पिता के विरासती नामान्तकरण से लगाये गये है इसलिए प्रार्थी को विरासती नामान्तकरण के विरूद्ध अपील करनी चाहिये थी। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नही पाया जाता है अतः सव्यय निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.20 16:35:31 IST
Reason: SelfAttested